सहपत्र–5

## ए.बी.डी. स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य/स्वीकृत भूमि उपयोग की जानकारी :–

| क्रमांक | भूमि का उपयोग परिक्षेत्र | सागर विकास योजना में स्वीकृत/ स्वीकार्य भूमि उपयोग | ए.बी.डी. स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु वांछित स्वीकार्य/स्वीकृत भूमि उपयोग/गतिविधि |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01. | आवासीय | | |
| | आवासीय सामान्य | सागर विकास योजना 2031 की सारणी 4–सा–12 अनुसार | सागर विकास योजना 2031 के समान |
| | आवासीय सह वाणिज्यिक (मिश्रित) | उल्लेखित नहीं । | इस उपयोग में मुख्यतः आवासीय गतिविधियाँ मान्य होगी वाणिज्यिक उपयोग केवल भू–तल पर मान्य होगा । |
| 02. | वाणिज्यिक | सागर विकास योजना 2031 की सारणी 4–सा–12 अनुसार | सागर विकास योजना 2031 के समान |
| 03. | औद्योगिक | सागर विकास योजना 2031 की सारणी 4–सा–12 अनुसार | ए.बी.डी. एरिया अन्तर्गत औद्योगिक उपयोग प्रस्तावित नहीं है । |
| 04. | सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक | सागर विकास योजना 2031 की सारणी 4–सा–12 अनुसार | सागर विकास योजना 2031 के समान |
| 05. | सार्वजनिक उपयोगिताएँ | सागर विकास योजना 2031 की सारणी 4–सा–12 अनुसार | सागर विकास योजना 2031 के समान |
| 06. | यातायात एवं परिवहन | सागर विकास योजना 2031 की सारणी 4–सा–12 अनुसार | सागर विकास योजना 2031 के समान |
| 07. | आमोद–प्रमोद | सागर विकास योजना 2031 की सारणी 4–सा–12 अनुसार | सागर विकास योजना 2031 के समान |
| 08. | आरक्षित वन | सागर विकास योजना 2031 की सारणी 4–सा–12 अनुसार | ए.बी.डी. एरिया के अन्तर्गत आरक्षित वन के प्रस्ताव नहीं है । |
| 09. | कृषि | सागर विकास योजना 2031 की सारणी 4–सा–12 अनुसार | ए.बी.डी. एरिया के अन्तर्गत कृषि के प्रस्ताव नहीं है । |
| 10. | नगरीय संरक्षित क्षेत्र | उल्लेखित नहीं । | इस उपयोग के अन्तर्गत मुख्यतः नगरीय धरोहर से संबंधित भवन, संरचनाएँ सम्मिलित है, जिनको ए.बी.डी. एरिया के प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र पर अंकित किया गया है । |

नोट :– ए.बी.डी. एरिया के अन्तर्गत विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में अस्वीकार्य गतिविधियाँ बिन्दू क्रमांक 8.5.3 के अनुसार रहेंगी एवं आवासीय परिक्षेत्र में गैर आवासीय गतिविधियाँ केवल भू–तल पर स्वीकार्य होंगी ।

## भूमि उपयोग उपांतरण के संबंध में वांछित जानकारी :–

| क्रमांक | ग्राम का नाम | उपांतरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र | रकबा (हैक्टेयर में) | सागर विकास योजना 2031 में उल्लेखित भूमि उपयोग | उपान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01. | सागर खास एवं ललईटोरी | सागर ए.बी.डी. क्षेत्र जिसकी चर्तु:सीमाएँ निम्नानुसार है :–<br>**उत्तर** :– बड़ा बाजार (रेल्वे कॉलोनी तक), तिलकगंज रोड़<br>**दक्षिण** :– पोत्दार कॉलोनी से तिली रोड़<br>**पूर्व** :– सागर रोड़, तहसीली रोड़ (सिविल लाईन चौराहा से तिली चौराहा)<br>**पश्चिम** :– लाखा बंजारा लैक | 598.931 हेक्टेयर (1480 एकड़) | आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद–प्रमोद, सार्वजनिक सेवा सुविधाऐं, यातायात एवं जलाशय | आवासीय, **आवासीय सह वाणिज्यिक (मिश्रित)**, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद–प्रमोद, सार्वजनिक सेवा सुविधाऐं, यातायात **नगरीय संरक्षित क्षेत्र**, एवं जलाशय | ए.बी.डी. क्षेत्र हेतु तैयार किए गए मास्टर प्लान में दर्शित भूमि उपयोग को सागर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि उपयोग माना जावें । |

## उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण में उपांतरण के संबंध में वांछित जानकारी :–

<table>
<tr><th>घटक</th><th>वर्तमान में लागू नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण</th><th>नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रणों में प्रस्तावित उपांतरण</th></tr>
<tr><td>विकास नियमन</td><td>सागर विकास योजना 2031 में निर्धारित अध्याय 4 अनुसार</td><td>सागर ए.बी.डी. एरिया मास्टर प्लान में निर्धारित अध्याय 8 अनुसार (ऐसे प्रावधान जो ए.बी.डी. एरिया मास्टर प्लान में नहीं दिये गये हैं, उनके लिये सागर विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे, परन्तु ऐसे प्रावधान जो सागर विकास योजना एवं ए.बी.डी. एरिया दोनों में ही है, ऐसी स्थिति में ए.बी.डी. एरिया हेतु ए.बी.डी. मास्टर प्लान में निर्धारित प्रावधान मान्य होंगे)</td></tr>
<tr><td colspan="3">विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में सागर विकास योजना 2031 के प्रमुख नियोजन मापदण्ड एवं ए.बी.डी. एरिया मास्टर प्लान में उपांतरण हेतु प्रस्तावित प्रमुख नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार है :–</td></tr>
<tr><td colspan="3">आवासीय</td></tr>
<tr><td>न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र</td><td>सारणी 4–सा–13 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार</td><td>भूखण्ड की चौड़ाई एवं सड़क चौड़ाई के आधार पर सागर ए.बी.डी. मास्टर प्लान में निर्धारित बिन्दू क्रमांक 8.6.5 (सारणी क्रमांक 47) के अनुसार</td></tr>
<tr><td>भू–आच्छादन क्षेत्र</td><td>सारणी 4–सा–2 एवं सारणी 4–सा–13 में भूखण्ड के आकार के मान से 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत भू–आच्छादित क्षेत्र निर्धारित है एवं वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में प्रावधान निम्नानुसार है :–<br>90 वर्गमीटर तक – 75 प्रतिशत<br>90 वर्गमीटर से 180 वर्गमीटर तक – 66 प्रतिशत<br>180 वर्गमीटर से अधिक – 60 प्रतिशत</td><td>भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार (बिन्दू क्रमांक 8.6.6)<br>90 वर्गमीटर तक – 70 प्रतिशत<br>90 वर्गमीटर से अधिक एवं 180 वर्गमीटर तक – 65 प्रतिशत<br>180 वर्गमीटर से अधिक – 60 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>भवन ऊँचाई</td><td>विकास योजना में विभिन्न गतिविधियों हेतु सारणी 4–सा–13 में 12.5 मीटर ऊँचाई का प्रावधान है एवं यह उल्लेख है कि, 12.5 मीटर से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होंगे ।</td><td>सड़क चौड़ाई अनुसार (ए.बी.डी. विकास योजना में निर्धारित बिन्दू क्रमांक 8.6.4–सारणी 48 के अनुसार)
<table>
<tr><th>मार्ग की चौड़ाई</th><th>अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई</th></tr>
<tr><td>9 मीटर से कम</td><td>09.00 मीटर</td></tr>
<tr><td>9 मीटर एवं 12 मीटर</td><td>12.00 मीटर</td></tr>
<tr><td>15 मीटर एवं 18 मीटर</td><td>18.00 मीटर</td></tr>
<tr><td>24 मीटर</td><td>24.00 मीटर</td></tr>
<tr><td>30 मीटर</td><td>30.00 मीटर</td></tr>
<tr><td>36 मीटर</td><td>36.00 मीटर</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| पार्किंग | विकास योजना बिन्दू क्रमांक 4.5.3 एवं सारणी 4–सा–13 अनुसार 1 कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से | पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8, बिन्दु क्रमांक 8.6.8 एवं सारणी क्रमांक 51 अनुसार निर्मित क्षेत्र के आधार पर पार्किंग के प्रावधान निर्धारित है |
| फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) | सारणी 4–सा–2 एवं 4–सा–13 में भूखण्ड के आकार के मान से 12.5 मीटर तक के ऊँचे भवनों हेतु 1.15 से 1.25 फर्शी क्षेत्र अनुपात निर्धारित है एवं वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में यह 1.25 से 1.5 निर्धारित है एवं 12.5 मीटर से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होंगे । | अध्याय 8 की सारणी क्रमांक 47 अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एफ.ए.आर. निर्धारित है, जो कि 1.0 से 3.0 तक स्वीकार्य होगा बेस एफ.ए.आर. 1.0 मान्य होगा एवं अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर प्रीमियम देय होगा । |
| आय के स्त्रोत | नियमों में प्रावधान नहीं है । | भूखण्ड संयुक्तिकरण<br>पार्किंग फीस<br>अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर प्रीमियम<br>स्वीकार्य गैर आवासीय गतिविधि पर प्रीमियम |
| | मिश्रित उपयोग | |
| भूमि उपयोग | मिश्रित उपयोग के लिए पृथक से कोई भूमि उपयोग परिक्षेत्र निर्धारित नहीं है । | मिश्रित उपयोग के लिए पृथक से भूमि उपयोग परिक्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें गैर आवासीय गतिविधियाँ भू–तल एवं प्रथम तल पर मान्य होंगी तथा इस उपयोग हेतु विकास नियमन ए.बी.डी. एरिया मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र हेतु निर्धारित नियमनों अनुसार मान्य होंगे । |
| आय के स्त्रोत | नियमों में प्रावधान नहीं है । | भूखण्ड संयुक्तिकरण<br>पार्किंग फीस<br>अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर प्रीमियम<br>वाणिज्यिक उपयोग पर प्रीमियम |
| | वाणिज्यिक | |
| सीमांत खुला क्षेत्र | सारणी 4–सा–13 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार | भूखण्ड की चौड़ाई एवं सड़क चौड़ाई के आधार पर सागर ए.बी.डी. मास्टर प्लान में निर्धारित बिन्दू क्रमांक 8.6.5 (सारणी क्रमांक 47) के अनुसार |
| भू–आच्छादन क्षेत्र | सारणी 4–सा–13 एवं बिन्दू क्रमांक 4.13 (स) अनुसार | भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार (बिन्दू क्रमांक 8.6.6)<br>90 वर्गमीटर तक – 70 प्रतिशत<br>90 वर्गमीटर से अधिक एवं 180 वर्गमीटर तक – 65 प्रतिशत<br>180 वर्गमीटर से अधिक – 60 प्रतिशत |

<table>
<tr><td>भवन ऊँचाई</td><td>विकास योजना में विभिन्न गतिविधियों हेतु सारणी 4–सा–13 में 12.5 मीटर ऊँचाई का प्रावधान है एवं यह उल्लेख है कि, 12.5 मीटर से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होंगे ।</td><td>सड़क चौड़ाई अनुसार (ए.बी.डी. विकास योजना में निर्धारित बिन्दू क्रमांक 8.6.4–सारणी 48 के अनुसार)<br><table><tr><th>मार्ग की चौड़ाई</th><th>अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई</th></tr><tr><td>9 मीटर से कम</td><td>09.00 मीटर</td></tr><tr><td>9 मीटर एवं 12 मीटर</td><td>12.00 मीटर</td></tr><tr><td>15 मीटर एवं 18 मीटर</td><td>18.00 मीटर</td></tr><tr><td>24 मीटर</td><td>24.00 मीटर</td></tr><tr><td>30 मीटर</td><td>30.00 मीटर</td></tr><tr><td>36 मीटर</td><td>36.00 मीटर</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>पॉर्किंग</td><td>सारणी 4–सा–13 अनुसार विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु 1 कार स्पेस प्रति 25 से 50 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से</td><td>पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8, बिन्दु क्रमांक 8.6.8 एवं सारणी क्रमांक 51 अनुसार वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु एक कार स्पेस 75 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से</td></tr>
<tr><td>फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)</td><td>सारणी 4–सा–13 अनुसार विभिन्न गतिविधियों हेतु 0.75 से 1.75 तक एफ.ए.आर. निर्धारित है एवं 12.5 मीटर से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होंगे ।</td><td>अध्याय 8 की सारणी क्रमांक 47 अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एफ.ए.आर. निर्धारित है, जो कि 1.0 से 3.0 तक स्वीकार्य होगा बेस एफ.ए.आर. 1.0 मान्य होगा एवं अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर प्रीमियम देय होगा ।</td></tr>
<tr><td>आय के स्त्रोत</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>भूखण्ड संयुक्तिकरण<br>पार्किंग फीस<br>अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर प्रीमियम<br>वाणिज्यिक उपयोग पर प्रीमियम</td></tr>
<tr><td colspan="3">पी.एस.पी.</td></tr>
<tr><td>सीमांत खुला क्षेत्र</td><td>सारणी 4–सा–13 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार</td><td>भूखण्ड की चौड़ाई एवं सड़क चौड़ाई के आधार पर सागर ए.बी.डी. मास्टर प्लान में निर्धारित बिन्दू क्रमांक 8.6.5 (सारणी क्रमांक 47) के अनुसार</td></tr>
<tr><td>भू–आच्छादन क्षेत्र</td><td>सारणी 4–सा–13 एवं 4–सा–16 एवं वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु बिन्दू क्रमांक 4.13 (स) अनुसार</td><td>भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार (बिन्दू क्रमांक 8.6.6)<br>90 वर्गमीटर तक – 70 प्रतिशत<br>90 वर्गमीटर से अधिक एवं 180 वर्गमीटर तक – 65 प्रतिशत<br>180 वर्गमीटर से अधिक – 60 प्रतिशत</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>भवन ऊँचाई</td><td>विकास योजना में विभिन्न गतिविधियों हेतु सारणी 4–सा–13 में 12.5 मीटर ऊँचाई का प्रावधान है एवं यह उल्लेख है कि, 12.5 मीटर से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होंगे ।</td><td>सड़क चौड़ाई अनुसार (ए.बी.डी. विकास योजना में निर्धारित बिन्दू क्रमांक 8.6.4–सारणी 48 के अनुसार)<table><tr><th>मार्ग की चौड़ाई</th><th>अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई</th></tr><tr><td>9 मीटर से कम</td><td>09.00 मीटर</td></tr><tr><td>9 मीटर एवं 12 मीटर</td><td>12.00 मीटर</td></tr><tr><td>15 मीटर एवं 18 मीटर</td><td>18.00 मीटर</td></tr><tr><td>24 मीटर</td><td>24.00 मीटर</td></tr><tr><td>30 मीटर</td><td>30.00 मीटर</td></tr><tr><td>36 मीटर</td><td>36.00 मीटर</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>पार्किंग</td><td>सारणी 4–सा–13 अनुसार विभिन्न गतिविधियों हेतु 1 कार स्पेस प्रति 50 से 75 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से</td><td>पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8, बिन्दु क्रमांक 8.6.8 एवं सारणी क्रमांक 51 अनुसार निर्मित क्षेत्र के आधार पर पार्किंग के प्रावधान निर्धारित है</td></tr>
<tr><td>फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)</td><td>सारणी 4–सा–13 अनुसार विभिन्न गतिविधियों हेतु 0.50 से 1.5 तक एफ.ए.आर. निर्धारित है एवं 12.5 मीटर से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होंगे ।</td><td>अध्याय 8 की सारणी क्रमांक 47 अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एफ.ए.आर. निर्धारित है, जो कि 1.0 से 3.0 तक स्वीकार्य होगा बेस एफ.ए.आर. 1.0 मान्य होगा एवं अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर प्रीमियम देय होगा ।</td></tr>
<tr><td>आय के स्त्रोत</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>भूखण्ड संयुक्तिकरण<br>पार्किंग फीस<br>अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर प्रीमियम</td></tr>
<tr><td colspan="3">सार्वजनिक पार्किंग सुविधा</td></tr>
<tr><td>भूखण्ड क्षेत्रफल</td><td>भूमि विकास नियम अनुसार 1000 वर्गमीटर</td><td>400 वर्गमीटर (चार पहियाँ वाहनों हेतु),<br>200 वर्गमीटर (दो पहियाँ वाहनों हेतु)</td></tr>
<tr><td>न्यूनतम खुला स्थान</td><td>सामने 12 मीटर एवं अन्य दिशाओं में 7.5 मीटर</td><td>सामने 3 मीटर एवं अन्य दिशाओं में 2.5 मीटर</td></tr>
<tr><td>निर्माण तकनीक</td><td>आर.सी.सी. भवन में रैम्प द्वारा</td><td>आर.सी.सी. भवन में रैम्प द्वारा एवं मेकेनाईज्ड</td></tr>
<tr><td>दो पहिया वाहनों हेतु</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>पार्किंग हेतु मानक अध्याय 8, बिन्दु क्रमांक 8.6.8.2.2 अनुसार</td></tr>
<tr><td>हरित एवं खुले क्षेत्र में पार्किंग</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>तलघर में</td></tr>
<tr><td>मार्गों पर पार्किंग</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>18 मीटर एवं अधिक</td></tr>
<tr><td colspan="3">अन्य नियम</td></tr>
<tr><td>शहरी डिजाईन हेतु नियम</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>अध्याय 8 बिन्दू 8.13 के अनुसार</td></tr>
<tr><td>फसाड डिजाईन हेतु नियम</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>अध्याय 8 बिन्दू 8.13.5 के अनुसार</td></tr>
<tr><td>ऊर्जा कुशल और हरित भवन नियम</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>अध्याय 8 बिन्दू 8.14 के अनुसार</td></tr>
<tr><td>राजस्व स्त्रोत</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>अध्याय 8 बिन्दू 8.7 के अनुसार</td></tr>
<tr><td>पुर्नविकास नीति</td><td>नियमों में प्रावधान नहीं है ।</td><td>अध्याय 8 बिन्दू 8.10 के अनुसार</td></tr>
</table>

## मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई में उपान्तरण के संबंध में प्रस्ताव :–

सहपत्र–8

| क्रमांक | विवरण | मार्ग का नाम | विकास योजना के अनुसार वर्तमान चौड़ाई मीटर में | विकास योजना अनुसार प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में | ए.बी.डी. प्लान में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1. | सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर की जाना प्रस्तावित । | बकोली चौराहा से बंगाली काली तिगड्डा तक | 11.00 | 12.00 | 24.00 |
| 2. | सड़क की चौड़ाई 15 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर की जाना प्रस्तावित । | तीन मडिया से महिला डिग्री कॉलेज चौराहा तक | 12.00 | 15.00 | 24.00 |
| 3. | सड़क की चौड़ाई 21 मीटर (वर्तमान) से बढ़ाकर 24 मीटर की जाना प्रस्तावित । | तीन मड़िया से लाखा बंजारा पार्क | सागर विकास योजना 2031 में उल्लेखित नहीं। | सागर विकास योजना 2031 में उल्लेखित नहीं। | 24.00 |
| 4. | वर्तमान में मौजूदा सड़क की चौड़ाई 12–15 मीटर है । | काली टिगड्डा से हरी सिंह गौर पार्क | सागर विकास योजना 2031 में उल्लेखित नहीं। | सागर विकास योजना 2031 में उल्लेखित नहीं। | 24.00 |

C.E.O.
Sagar Smart City Ltd.
Sagar M.P.

330/TECP/18
TOWN PLANNER
M/S. PRIVATE TOWN
PLANNERS CONSULTANCY SERVICES

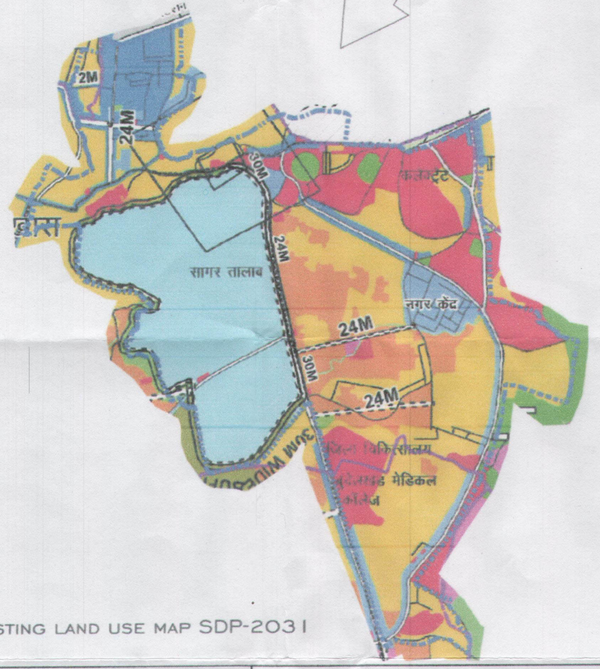
Ar. Praveen Chandra Chaurasia
CA/2013/60761
Praveen Chandra Chaurasia
Assistant Planner
Sagar Smart City Limited
Sagar (M.P.)

ABD AREA BOUNDARY ON SDP 2031

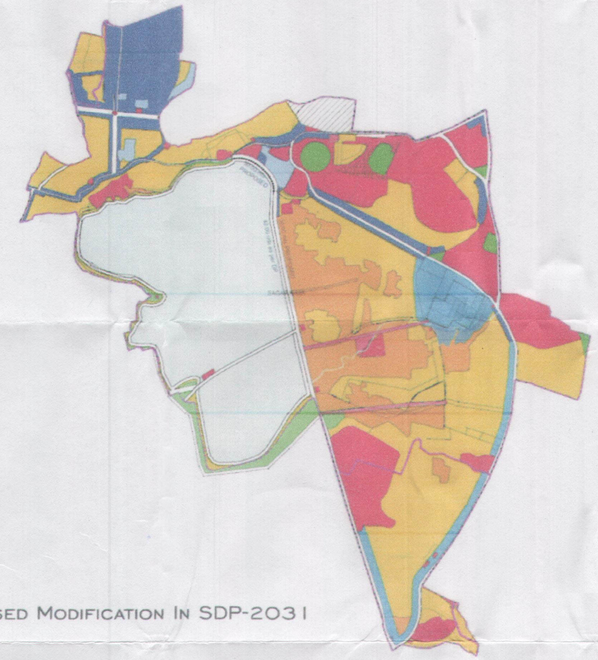


LEGEND

| | |
|---|---|
| | ABD AREA BOUNDARY |




EXISTING LAND USE MAP SDP-2031



PROPOSED MODIFICATION IN SDP-2031

| | वर्तमान | प्रस्तावित |
|---|---|---|
| **RESIDENTIAL** | | आवासीय |
| GENERAL | | सामान्य |
| LOWER DENSITY | | निम्न घनत्व |
| **COMMERCIAL** | | वाणिज्यिक |
| GENERAL | | सामान्य |
| SPECIALISED | | विशेषीकृत |
| **TRANSPORT NAGAR** | | यातायात नगर |
| **INDUSTRIAL** | | औद्योगिक |
| GENERAL | | सामान्य |
| AGRICULTURAL & FOREST BASED | | कृषि एवं वन आधारित |
| **PUBLIC & SEMI PUBLIC** | | सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक |
| **PUBLIC UTILITIES & FACILITIES** | | सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं |
| **TRANSPORTATION** | | यातायात एवं परिवहन |
| ROAD | | सड़क एवं गलियां |
| BUS STAND | | बस स्थानक |
| PICKUP STATION | | पिकअप स्टेशन |
| RAILWAY STATION | | रेल्वे स्टेशन |
| RAILWAY LINE | | रेल्वे लाईन |
| **RECREATIONAL** | | आमोद प्रमोद |
| CITY PARK | | नगर उद्यान |
| STADIUM PLAY GROUND | | स्टेडियम / खेल मैदान |
| MELA GROUND | | मेला मैदान |
| ENVIRONMENTAL FORESTRY | | पर्यावरण वानिकी |
| **RESERVED FOREST** | | आरक्षित वन |
| **AGRICULTURAL** | | कृषि |
| GENERAL | | सामान्य |
| **WATERBODIES** | | जलाशय |
| **BOUNDARIES** | | सीमाऐ |
| PLANNING BOUNDARY | | नियोजन क्षेत्र सीमा |
| VILLAGE BOUNDARY | | ग्राम सीमा |
| MUNICIPAL BOUNDARY | | नगर पालिका सीमा |
| MUNICIPAL CORPORATION BOUNDARY | | नगर निगम सीमा |

Client:

Come Together
Make Our City Smart

Sagar Smart City Limited

Consultant :

Grant Thornton

N
W E
S

0 50 100 200

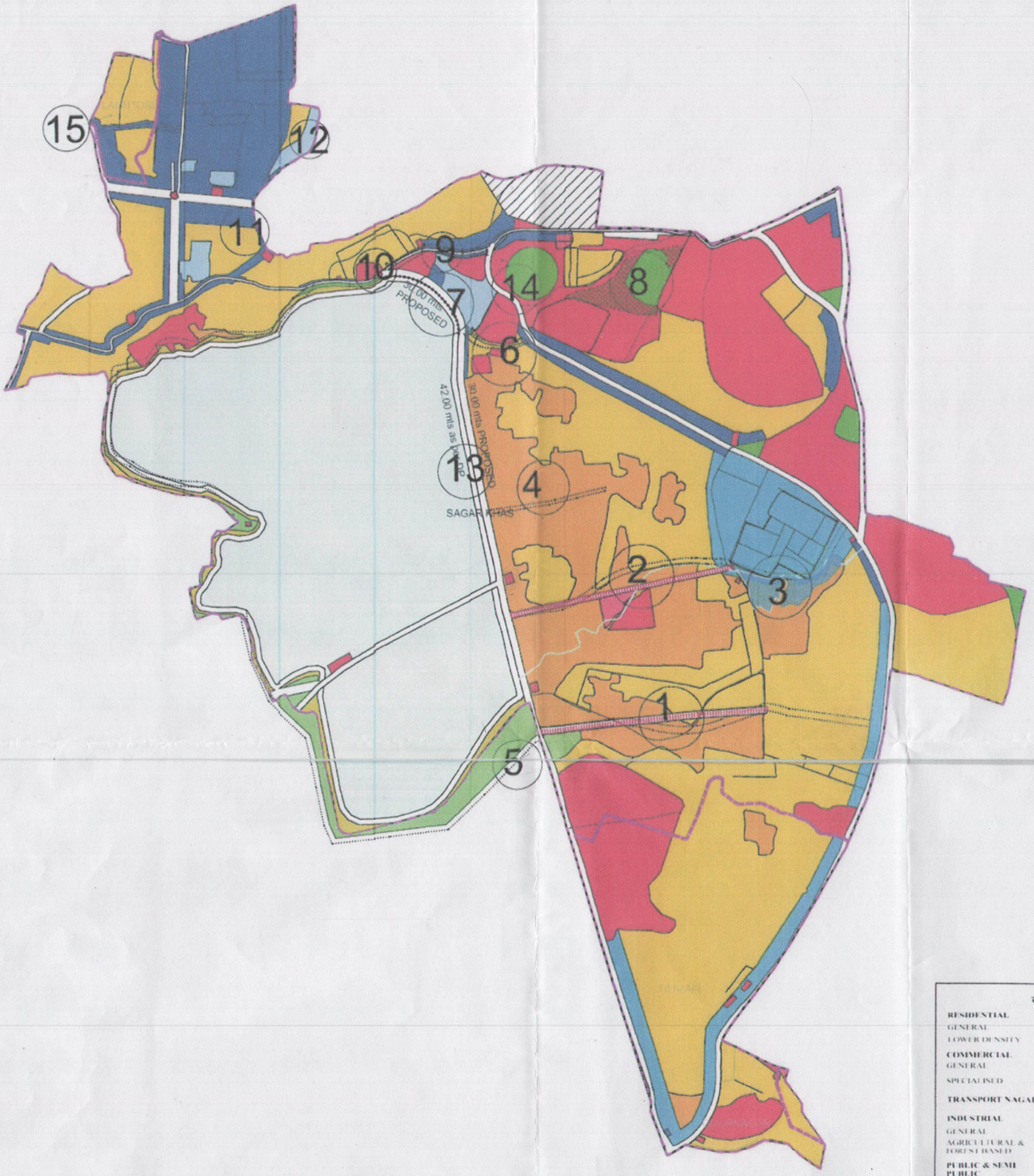
M/S. PRIVATE TOWN
PLANNERS CONSULTANCY SERVICES
REG. No - 1984-061

GRANT THORNTON INDIA L.L.P.

Praveen Chandra Chaurasia
Assistant Planner
Sagar Smart City Limited
Sagar (M.P.)

C.E.O.
Sagar Smart City Ltd.
Sagar M.P.

# PROPOSED MODIFICATION IN SDP-2031




वर्तमान प्रस्तावित

| | |
|---|---|
| RESIDENTIAL | आवासीय |
| GENERAL | सामान्य |
| LOWER DENSITY | निम्न घनत्व |
| COMMERCIAL | वाणिज्यिक |
| GENERAL | सामान्य |
| SPECIALISED | विशेषीकृत |
| TRANSPORT NAGAR | यातायात नगर |
| INDUSTRIAL | औद्योगिक |
| GENERAL | सामान्य |
| AGRICULTURAL & FOREST BASED | कृषि एवं वन आधारित |
| PUBLIC & SEMI PUBLIC | सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक |
| PUBLIC UTILITIES & FACILITIES | सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं |
| TRANSPORTATION | यातायात एवं परिवहन |
| ROAD | सड़कें एवं गलियां |
| BUS STAND | बस स्थानक |
| PICKUP STATION | पिकअप स्टेशन |
| RAILWAY STATION | रेल्वे स्टेशन |
| RAILWAY LINE | रेल्वे लाईन |
| RECREATIONAL | आमोद प्रमोद |
| CITY PARK | नगर उद्यान |
| STADIUM PLAY GROUND | स्टेडियम/खेल मैदान |
| MELA GROUND | मेला मैदान |
| ENVIRONMENTAL FORESTRY | पर्यावरण वानिकी |
| RESERVED FOREST | आरक्षित वन |
| AGRICULTURAL | कृषि |
| GENERAL | सामान्य |
| WATERBODIES | जलाशय |
| BOUNDARIES | सीमाऐं |
| PLANNING BOUNDARY | नियोजन क्षेत्र सीमा |
| VILLAGE BOUNDARY | ग्राम सीमा |
| MUNICIPAL BOUNDARY | नगर पालिका सीमा |
| MUNICIPAL CORPORATION BOUNDARY | नगर निगम सीमा |

*Proposed Modification in SDP -2031*

M/S. PRIVATE TOWN PLANNERS CONSULTANCY SERVICES
REG No.- 1984-061

GRANT THORNTON INDIA LLP

Parveen Chandra Chaurasia
Assistant Planner
Sagar Smart City Limited
Sagar (M.P.)

C.E.O.
Sagar Smart City Ltd.
Sagar M.P.

Client:

Come Together
Make Our City Smart

Sagar Smart City Limited

Consultant :

Grant Thornton

N
W E
S

0 50 100 200

ANNEXURE - 03

# SUPERIMPOSITION OF ABD AREA BOUNDARY (SCP ) & PROPOSED MODIFIED ABD AREA BOUNDARY




C.E.O.
Sagar Smart City Ltd.
Sagar M.P.

Ar. Praveen Chandra Chaurasia
CA/2013/60761
Praveen Chandra Chaurasia
Assistant Planner
Sagar Smart City Limited
Sagar (M.P.)

GRANT THORNTON INDIA LLP

330/TECP/18
TOWN PLANNER
M/S. PRIVATE TOWN
PLANNERS CONSULTANCY SERVICES

Client:

Come Together
Make Our City Smart

Sagar Smart City Limited

Consultant :

Grant Thornton

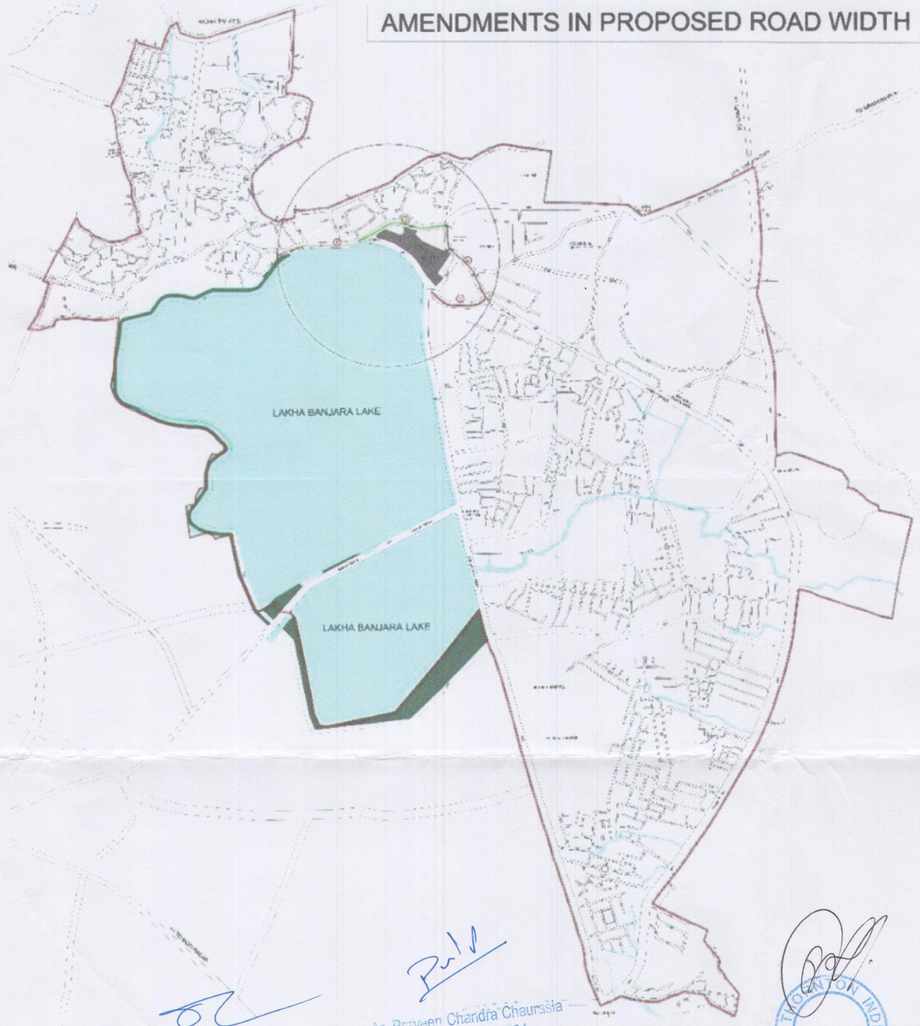
N
W E
S

0 50 100 200

LEGEND

- PROPOSED MODIFIED ABD BOUNDARY(1480 acre)
- EXISTING BOUNDARY AS PER SCP (908 acre)
- AREA PROPOSED TO BE INCLUDED
  A + B + C
  403 + 144 + 25 = 572(Acre)

# Annexure 9







C.E.O.
Sagar Smart City Ltd.
Sagar M.P.

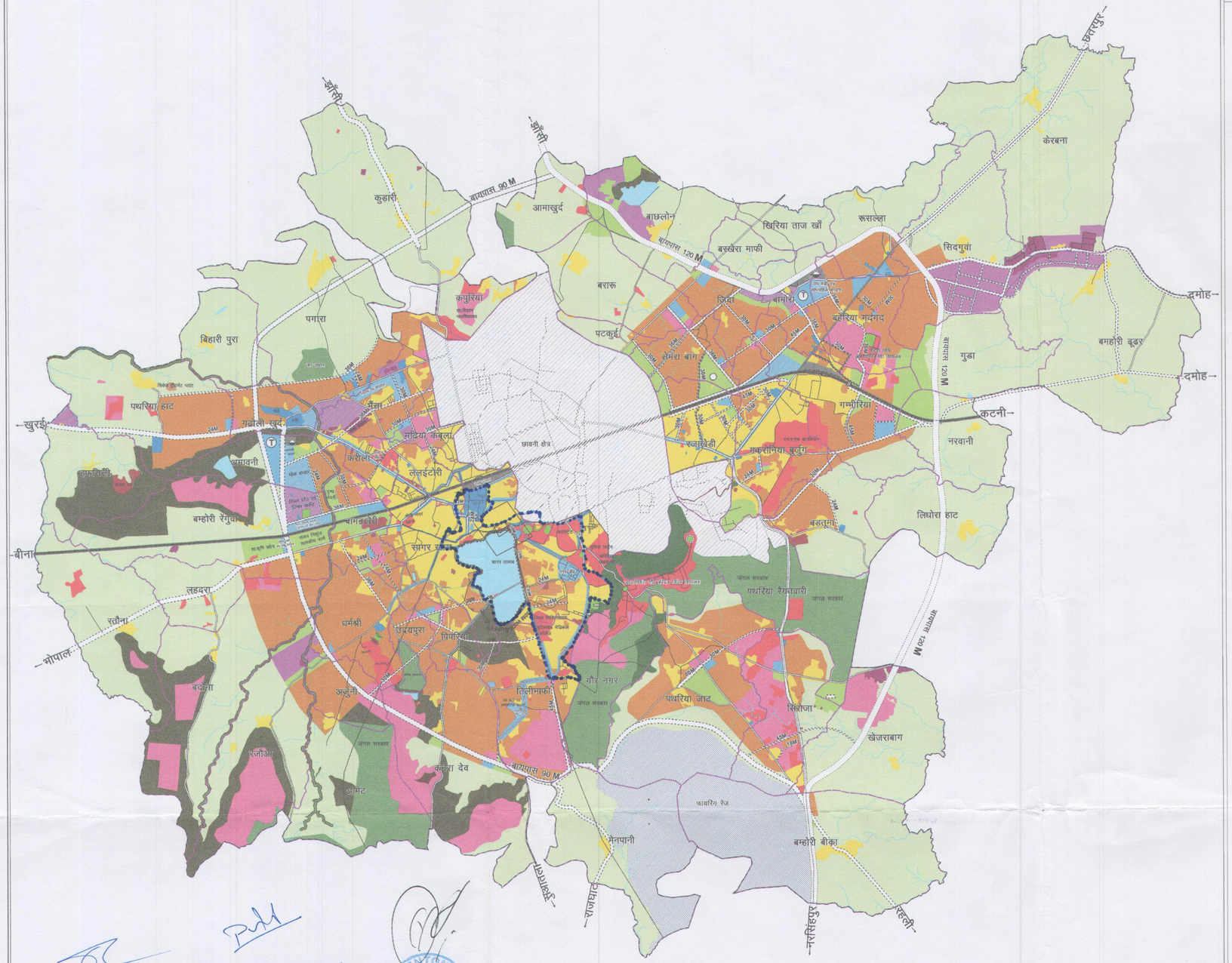
Ar. Praveen Chandra Chaurasia
CA/2013/60761
Praveen Chandra Chaurasia
Assistant Planner
Sagar Smart City Limited
Sagar (M.P.)

GRANT THORNTON INDIA L.L.P.

330/TECP/18
TOWN PLANNER
M/S. PRIVATE TOWN
PLANNERS CONSULTANCY SERVICES

ANNEXURE -10

# ABD AREA BOUNDARY ON SDP 2031




| SAGAR 2.4 DEVELOPMENT PLAN 2031 | | | सागर 2.4 विकास योजना 2031 |
|---|---|---|---|
| | वर्तमान | प्रस्तावित | |
| **RESIDENTIAL** | | | **आवासीय** |
| GENERAL | | | सामान्य |
| LOWER DENSITY | | | निम्न घनत्व |
| **COMMERCIAL** | | | **वाणिज्यिक** |
| GENERAL | | | सामान्य |
| SPECIALISED | | | विशेषीकृत |
| **TRANSPORT NAGAR** | | T | यातायात नगर |
| **INDUSTRIAL** | | | **ओधोगिक** |
| GENERAL | | | सामान्य |
| AGRICULTURAL & FOREST BASED | | | कृषि एवं वन आधारित |
| **PUBLIC & SEMI PUBLIC** | | | **सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक** |
| **PUBLIC UTILITIES & FACILITIES** | | | **सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाए** |
| **TRANSPORTATION** | | | **यातायात एवं परिवहन** |
| ROAD | | | सड़के एवं गलियाँ |
| BUS STAND | | | बस स्थानक |
| PICKUP STATION | | | पिकअप स्टेशन |
| RAILWAY STATION | | | रेल्वे स्टेशन |
| RAILWAYLINE | | | रेल्वे लाईन |
| **RECREATIONAL** | | | **आमोद प्रमोद** |
| CITY PARK | | | नगर उद्यान |
| STADIUM/ PLAY GROUND | | | स्टेडियम/खेल मैदान |
| MELA GROUND | | | मैला मैदान |
| ENVIRONMENTAL FORESTRY | | | पर्यावरण वानिकी |
| **RESERVED FOREST** | | | **आरक्षित वन** |
| **AGRICULTURAL** | | | **कृषि** |
| GENERAL | | | सामान्य |
| **WATERBODIES** | | | **जलाशय** |
| **BOUNDARIES** | | | **सीमाऐ** |
| PLANNING BOUNDARY | | | निवेश क्षेत्र सीमा |
| VILLAGE BOUNDARY | | | ग्राम सीमा |
| MUNICIPAL BOUNDARY | | | नगर पालिका सीमा |
| MUNICIPAL CORPORATION BOUNDARY | | | नगर निगम सीमा |

N

1:16,000

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौधेगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

| LEGEND | |
|---|---|
| | ABD AREA BOUNDARY |

C.E.O.
Sagar Smart City Ltd.
Sagar M.P.

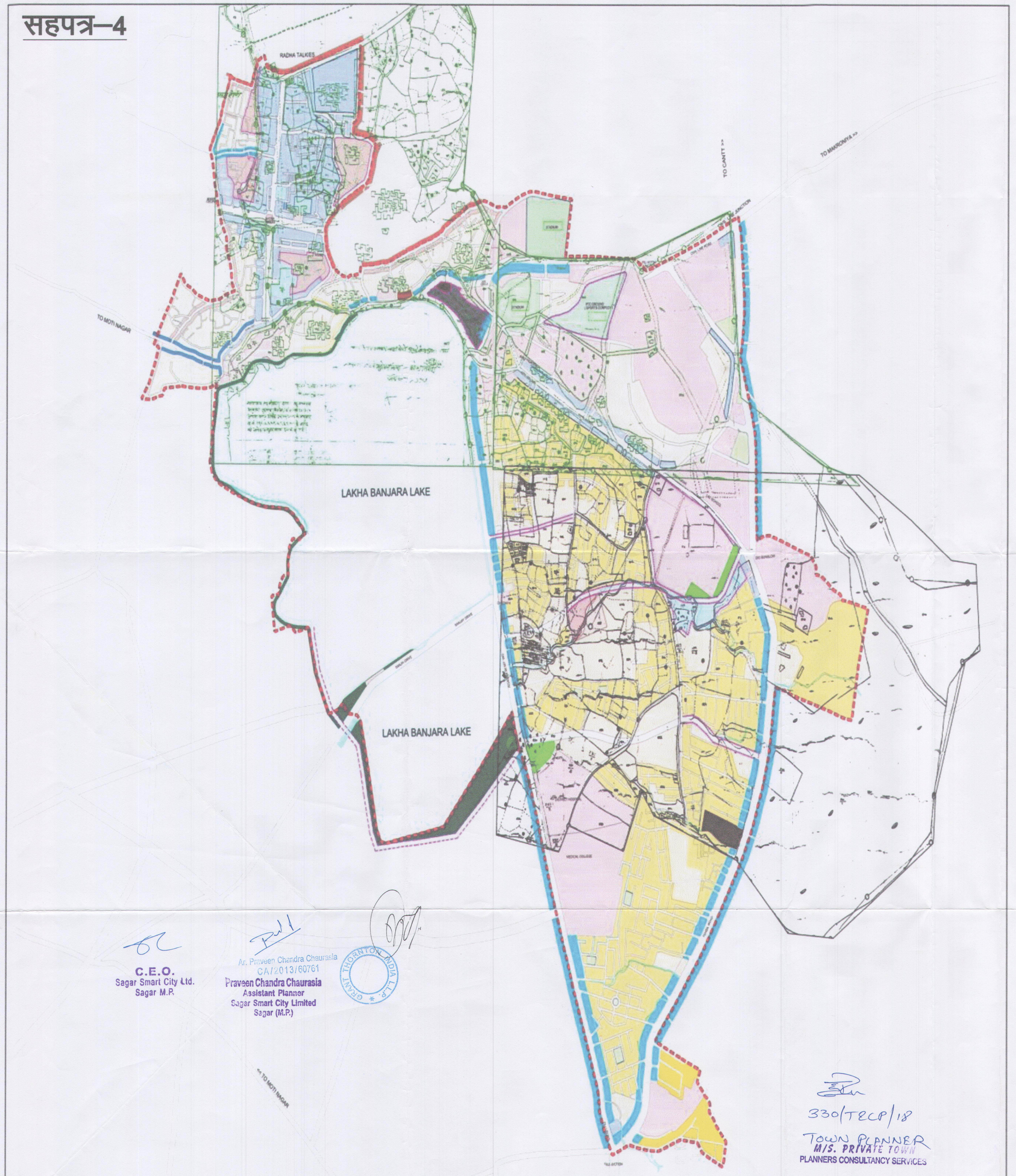
Ar. Praveen Chandra Chaurasia
CA/2013/60761
Praveen Chandra Chaurasia
Assistant Planner
Sagar Smart City Limited
Sagar (M.P.)

GANT THORNTON INDIA LLP

LICENCE NO
330/T&CP/18
TOWN PLANNER
M/S. PRIVATE TOWN
PLANNERS CONSULTANCY SERVICES

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

# सहपत्र–4




PROPOSED MODIFICATIONS
OVERLAP ON KHASRA

LEGEND

| | |
|---|---|
| | ABD BOUNDARY |
| | PROPOSED MODIFICATIONS |

N
W E
S

0 50 100 200

C.E.O.
Sagar Smart City Ltd.
Sagar M.P.

Ar. Praveen Chandra Chaurasia
CA/2013/60761
Praveen Chandra Chaurasia
Assistant Planner
Sagar Smart City Limited
Sagar (M.P.)

GRANT THORNTON INDIA LLP

330/TECP/18
TOWN PLANNER
M/S. PRIVATE TOWN
PLANNERS CONSULTANCY SERVICES

Come Together
Make Our City Smart

Grant Thornton